सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-1962/JH/15/2024-APCR

दिनांक - 17.06.2025

सेवा मे,

1 **उपायुक्त**
जिला - पलामू
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त कार्यालय,
नया समाहरणालय, मेदिनीनगर,
पलामू, झारखंड 822101
Email Id: dc-pal@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक**
जिला - पलामू
कुचेरी रोड, डाल्टेनगंज, मेदिनीनगर,,
पलामू, झारखंड 822101
Email Id: sp-pal@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के जमीन के हड़पने के उद्देश्य से रास्ता रोकने, जाति सूचक शब्द कहने तथा घर में घुस कर घर की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करने के संदर्भ में श्रीमती विमला देवी का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एच.आर .मीना/**H.R.Meena**)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती विमला देवी,
ग्राम - महुडंड, पोस्ट - रतनाग
जिला- पलामाउ, झारखंड
मो. :8986809878

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

NCST/ATY-1962/JH/15/2024-APCR

अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के जमीन के हड़पने के उद्देश्य से रास्ता रोकने, जाति सूचक शब्द कहने तथा घर में घुस कर घर की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करने के संबंध में श्रीमति विमला देवी, रतनाग, पालमू, झारखंड की शिकायत दिनांक 16.05.2025 में आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	16.05.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

आयोग को दिनांक 23.08.2024 को शिकायात पत्र श्रीमति विमला देवी, रतनाग, पालमू, झारखंड से प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपने ही पड़ोसी श्री अखिलेश विश्वकमी पिता श्री नागेन्द्र विस्वकर्मा तथा अन्य 7 लोगों के खिलाफ शिकायत की है कि वो इनके निकलने वाले रास्ते को रोकने का कार्य कर रहें हैं तथा शिकायतकर्ता की उक्त जमीन को हड़पने के उद्देस्य से धमकी दे रहें हैं कि तुम लोगों को यहां से भगा देंगें। इस प्रकरण में शिकायकर्ता का यह भी आरोप है कि कई बार शिकायतकर्ता के घर में घुस कर मार पिट किया गया तथा श्रीमति विमला देवी को साड़ी पकड़ कर रात्री में दुष्कर्म करने के नियत से रात्री मे अकेला देख कर घर में घुस जाते हैं। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने पुलिस प्रसासन से कई बार शिकायत की है तथा इस हेतु मिलें है कितुं किसी भी तरह का प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं ही है। शिकायकर्ता का कहना है कि प्रकरण में उसके जान-माल का खतरा बना हुआ है अतः उचित कार्यवाही की मांग कर रहें हैं।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए, जिलाधिकारी, पलामू (झारखंड) तथा पुलिस अधीक्षक, पलामू (झारखंड) को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया था।
3. आयोग के नोटिस के संबंध में संबंधित अधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त न होने पर, एवं शिकायतकर्ता के अनुरोध पर, मामले में दिनांक 16.05.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई तथा तत्पश्चात सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया।
4. आयोग मुख्यालय में आयोजित सुनवाई के दौरान उपायुक्त, पलामू (झारखंड) उपस्थित रहे, जबकि पुलिस अधीक्षक, पलामू तथा प्रार्थिनी अनुपस्थित रहे।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

i. उक्त मामले में उपायुक्त, पलामू तथा पुलिस अधीक्षक, पलामू द्वारा पुनः जांच कर शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई समस्याओं का विधिवत परीक्षण करते हुए उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शिकायतकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह जांच प्रक्रिया में प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

आशा लकड़ा
12/06/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/ATY-1962/JH/15/2024-APCR)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 16.05.2025 at 02:40 PM in the case of श्रीमति विमला देवी, रतनाग, पालमू, झारखंड.

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- पलामू (झारखंड)		
1.	DC		
2.			
3.			
4.			
III	शिकायतकर्ता		
1.			
2.			